।। जय महावीर ।।
।। जय गुरु नाना ।।
।। जय गुरु राम ।।
राम चमकते भानु समाना
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था – क्रमांक : 102/1964-65

क्रमांक :

दिनांक : 12-11-2025

संघों हेतु भोजन संबंधी संशोधित नियमावली, नवम्बर 2025

1. सुबह के नाश्ते में 7 आइटम से ज्यादा नहीं होंगे।
2. दोपहर के भोजन में 11 आइटम से ज्यादा नहीं होंगे।
3. दोपहर को चाय, कॉफ़ी के साथ नमकीन/खारी आदि कोई भी अधिकत दो प्रकार की वस्तु, मौसम के अनुसार एक अन्य पेय रख सकते हैं, पर मिठाई नहीं।
4. शाम के भोजन में 9 आइटम से ज़्यादा नहीं होंगे।
5. किसी भी रात्रिकालीन कार्यक्रम/बैठक में पानी के अतिरिक्त कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ नहीं होगा।
6. **आइटम की गिनती हेतु नियम :-**

A. पानी नहीं गिना जायेगा ।

B. दूध, चाय, कॉफ़ी एवं उनके साथ नमकीन/खारी आदि कोई भी दो तरह के आइटम– एक ही गिना जायेगा। भोजन के साथ रखे तो एक अलग आइटम गिना जाएगा।

C. किसी भी तरह का मुखवास एक आइटम गिना जायेगा।

D. खाने में कोई भी एक पेय पदार्थ रखा जाए तो एक आइटम गिना जायेगा।

E. अन्य कोई भी आइटम जो इस नियमावली में न लिखा हो वो अलग आइटम गिना जायेगा।

F. मिक्स पकौड़ा (2–3 तरह के व चटनी आदि) एक आइटम गिना जायेगा।

G. साउथ इंडियन डिशेज़ के साथ चटनी व सांभर अलग नहीं गिना जायेगा, पर इडली – बड़ा – डोसा – उत्तपम् आदि अलग अलग गिने जाएँगे।

H. खमण के साथ चटनी अलग नहीं गिनी जाएगी।

I. खाखरों के साथ घी व मसाला/ज़िरावन अलग नहीं गिने जाएँगे।

J. फुलका, रोटी, पूरी इत्यादि कोई दो तरह की एक गिनी जाएगी एवं दो से अधिक तीन या चार तरह की हो तो दो गिनी जाएगी।

K. पोहा के साथ भुजिया एक ही गिना जायेगा।

L. कढ़ी–कचोरी एक आइटम गिना जाएगा।

M. कढ़ी–फाफड़ा एक आइटम गिना जाएगा।

लगातार ...2..

नरेन्द्र गांधी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
9425108224 president@sadhumargi.com

सुरेश कुमार बच्छावत
राष्ट्रीय महामंत्री
9460589327 secretary@sadhumargi.com

राजेश कुमार जैन (बच्छावत)
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
9024881839 treasurer@sadhumargi.com

सत्र 2025-27

केन्द्रीय कार्यालय : समता भवन आचार्य श्री नानेश मार्ग, नोखा रोड, जैन पी.जी. कॉलेज के सामने, बीकानेर-334401 (राज.)
Helpdesk No. +91 8535858853 ho@sadhumargi.com

Visit us : https://sadhumargi.com/
Follow us : sadhumargi

धार्मिक एवं शैक्षणिक केन्द्र : आचार्य श्री नानेश ध्यान केन्द्र, राणा प्रताप नगर, पद्मिनी मार्ग, उदयपुर - 313002 (राज.)
फोन : +91 7231866008 udaipur@sadhumargi.com

मिठाई के नियम :-

A. रस वाली मिठाइयों का प्रयोग अत्यंत विवेक पूर्ण हो एवं परोसते वक्त झुठा नहीं जाए इसका ध्यान रखें।

B. जल्दी ख़राब होने वाली मिठाइयाँ यथा संभव नहीं करते हुवे ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होने वाली मिठाइयाँ ही प्रयोग में ली जावे।

C. नाश्ते में एक मिठाई, सुबह के खाने में एक मिठाई (विशेष प्रसंगों व रविवार आदि को दो मिठाई रख सकते हैं पर कुल ग्यारह से अधिक आइटम नहीं), शाम को खाने में भी एक मिठाई रख सकते है।

D. दोपहर को चाय के साथ मिठाई न रखें।

अन्य नियम :

A. जमीकंद का प्रयोग किसी भी आइटम में नहीं हो।

B. दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पक्खी व पर्युषण के आठ दिनों में भोजनशाला में हरी का प्रयोग नहीं हो।

C. किसी आइटम के समाप्त होने पर उसकी जगह दूसरा उसी तरह का आइटम बिना अतिरिक्त गिनती के रख सकते हैं।

D. तपस्या के पारने, आयांबिल, नीवी आदि के लिए कुछ और अलग आइटम रख सकते हैं।

E. विगह आदि के त्याग हेतु हरी, नमक, चीनी, दूध, दही, घी, तेल आदि अनावश्यक रूप से अन्य आइटमों में उपयोग नहीं करें।

F. काउंटर पर सचित्त आइटम या सचित्त मिश्रित आइटम नही रखें।

G. सब्ज़ियाँ आदि किसी भी आइटम में तेज मसाला, तेज ग्रेवी (शादी – विवाह में होने वाली सब्ज़ियों की तरह) नहीं होनी चाहिए।

H. भोजनशाला में म्यूजिक/भजन/नवकार मंत्र आदि की कोई धुन/टेप नहीं बजनी चाहिए। सिर्फ़ आवश्यक सूचनाओं के लाइक माइक का प्रयोग कर सकते है।

लगातार..3..

I. परिसर में व उसके परिक्षेत्र में सिर्फ़ लाभम के धार्मिक उपकरण व संघ के साहित्य के स्टॉल के अलावा कोई स्टॉल या दुकान नहीं लगे।
J. भोजनशाला एवं प्रवचन स्थल आदि स्थानों में सचित्त वस्तु की प्रभावना नहीं करें। कोई भी वस्तु की प्रभावना स्थानीय संघ की अनुमति/सहमति के बिना वितरित नहीं करें।
K. जहां तक संभव हो जूठे बर्तन लकड़ी के बुरादे से ही साफ करने का लक्षय रखें।

नोटः- इस नियमावली को भोजनशाला में बड़े अक्षरों में लिखवाकर उपयुक्तस्थल पर प्रदर्शित करें।
इस आशय का संकल्प पत्र भरकर हस्ताक्षर सहित केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्त सभी नियम स्थानीय सभी संघों की किसी भी प्रकार से चलने वाली भोजनशाला में व संघ के सभी आयोजनों में होने वाले भोजन पर लागू होंगे।

"सभी से अनुरोध है कि निर्धारित आइटमों से कम ही बना कर प्रेरणास्पद प्रसंग उपस्थित करें।"

उपरोक्त नियमों में समय के अनुसार बदलाव का अधिकार केंद्रीय संघ की समिति के पास सुरक्षित है।